न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
11/2020/प्रा.पत्र/2020	13.01.2020	18.12.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री दीपक चेलानी पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास चेलानी एफ.बी.ओ मैसर्स किशोर वैरायटी स्टोर देवली रोड बडा कुऑ सबील शाह की चौकी टोंक जिला टोंक राज0 निवासी प्लाट नं. 24/ए आर्दश नगर टोंक जिला टोंक राज0

2– मैसर्स किशोर वैरायटी स्टोर देवली रोड बडा कुऑ सबील शाह की चौकी टोंक जिला टोंक राज0

3–श्री त्रिदेव सैन नॉमिनी मैसर्स नैचुरल कन्ज्यूमर केयर मार्केटिग प्रा0लि0 जी–1–807 सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक रोड जयपुर राज0

4– मैसर्स नैचुरल कन्ज्यूमर केयर मार्केटिग प्रा0लि0 जी–1–807 सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक रोड जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–**निर्णय**–: **दिनांक 18.12.2020**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.09.2019 को समय 3.02 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स किशोर वैरायटी स्टोर देवली रोड बडा कुऑ सबील शाह की चौकी टोंक जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से श्री दीपक चेलानी पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास चेलानी एफ.बी.ओ मैसर्स किशोर वैरायटी स्टोर देवली रोड बडा कुऑ सबील शाह की चौकी टोंक जिला टोंक राज0 निवासी प्लाट नं. 24/ए आर्दश नगर टोंक जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विकेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **प्रोपरायटरी फूड मसालेदार अप्पम–पापड अपलम–चपलम पॉली पैक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1144

Scanned by CamScanner

(Proprietary Food Masaledar Aam Papad Aplam-Chaplam Poly Pack) जिसके बैच नं. 30409 व पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2019 अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री दीपक चेलानी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता दीपक चेलानी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान कि रैक मे 3.25 किलोग्राम के 5 कपडे के बैग मे प्रत्येक मे 16–16 पैकेट **प्रोपरायटरी फूड मसालेदार आम–पापड अपलम–चपलम पॉली पैक** (Proprietary Food Masaledar Aam Papad Aplam-Chaplam Poly Pack) रखे हुये मे से 1 बैग का चयन कर 16 पैकेट ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड का चयन कर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री दीपक चेलानी को रू0 264/–अक्षरे दौ सौ चौसठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हंस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **प्रोपरायटरी फूड मसालेदार आम–पापड अपलम–चपलम पॉली पैक** (Proprietary Food Masaledar Aam Papad Aplam-Chaplam Poly Pack) 16 पैकेट को बराबर–बराबर(एक भाग 4–4 पैकेट) अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अलग–अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2288 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2288 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. दीपक चेलानी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री दीपक चेलानी ने मौके पर **प्रोपरायटरी फूड मसालेदार आम–पापड अपलम–चपलम पॉली पैक**(Proprietary Food Masaledar Aam Papad Aplam-Chaplam Poly Pack)बतोर वारन्टी मैसर्स नैचुरल कन्ज्यूमर केयर मार्केटिग प्रा0लि0 जी–1–807 सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक रोड जयपुर राज0 का बिल/इन्वॉइस 6561/2019–20 दिनांक 19.09.2019 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर [illegible] की [illegible] तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। [illegible] नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला [illegible]
टोंक

Scanned by CamScanner

आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2364 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2108/एक्ट/2019/1654 दिनांक 04.10.2019 अनुसार दीपक चेलानी से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **प्रोपरायटरी फूड मसालेदार आम–पापड अपलम–चपलम पॉली पैक**(Proprietary Food Masaledar Aam Papad Aplam-Chaplam Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **प्रोपरायटरी फूड मसालेदार आम–पापड अपलम–चपलम पॉली पैक** (Proprietary Food Masaledar Aam Papad Aplam-Chaplam Poly Pack) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की और से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **प्रोपरायटरी फूड मसालेदार आम–पापड अपलम–चपलम पॉली पैक**(Proprietary Food Masaledar Aam Papad Aplam-Chaplam Poly Pack) का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **प्रोपरायटरी फूड मसालेदार आम–पापड अपलम–चपलम पॉली पैक** (Proprietary Food Masaledar Aam Papad Aplam-Chaplam Poly Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के [illegible] होने से अप्रार्थी श्री दीपक चेलानी पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास चेलानी एफ.बी.ओ [illegible]शोर वैरायटी स्टोर देवली रोड बडा कुआँ सबील शाह की चौकी टों[illegible] प्लाट नं. 24/ए आर्दश

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नगर टोंक जिला टोंक राज0 पर शास्ति 12,500 (अक्षरे बारह हजार पांच सौ रू0) अप्रार्थी श्री श्री त्रिदेव सैन नॉमिनी मैसर्स नैचुरल कन्ज्यूमर केयर मार्केटिंग प्रा0लि0 जी–1–807 सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक रोड जयपुर राज0 पर शास्ति 12,500 (अक्षरे बारह हजार पांच सौ रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.12.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner